विचार बिन्दु

दान-पुण्य केवल परलोक में सुख देता है पर योग्य संतान सेवा द्वारा इहलोक और तर्पण द्वारा परलोक दोनों में सुख देती है।

–कालिदास

सबको शिक्षा का लक्ष्य क्या मरीचिका ही बना रहेगा!

पिछले दिनों जयपुर में सबको झकझोर देने वाला एक व्याख्यान हुआ जो देश में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था पर एक शिक्षाविद् की बेलाग टिप्पणी थी। दुर्भाग्य से आज के प्रायोजित और प्रचारतंत्र द्वारा प्रसारित आयोजनों की चकाचौंध में अकादमिक ऊर्जा लिए हुए ऐसे कार्यक्रम अनदिखे रह जाते हैं। यह व्याख्यान भारत में बुनियादी शिक्षा के विकास और प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनेस्को एविसेना गोल्ड मेडल से सम्मानित तथा नागरिक सम्मान 'पद्मभूषण' से अलंकृत अनिल बोर्दिया की स्मृति में शिक्षाविद् आर. गोविंदा ने दिया था।

आज़ादी के 75 साल बाद भी सबको शिक्षा देने का लक्ष्य न पा सकने का बुनियादी सवाल ही व्याख्यान में खड़ा नहीं किया गया बल्कि यह भी स्थापित किया गया कि स्वतंत्र भारत में लुभावनी शब्दावली वाली नीतियां तो खूब बनाई गई, लेकिन व्यवहार, अवधारणा और परिपेक्ष्य को नहीं बदला गया। शिक्षाविद् का यह तंज़ भी था कि उपनिवेशवादी हमें छोड़ कर चले गए, मगर हमारी उपनिवेशवादी मानसिकता नहीं बदल पाई। वह यहां तक कह गया कि उपनिवेशी काल का मैकाले तो नहीं रहा, लेकिन इस देश में मैकालेवाद अब भी जीवित है और फल-फूल रहा है।

सबको शिक्षा के लिए संघर्ष सौ साल से भी पुराना है, जब गोपालकृष्ण गोखले ने 1910-1911 में ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी बच्चे पढ़ने-लिखने में सक्षम होंगे। तब प्राथमिक विद्यालयों में केवल 15 प्रतिशत बच्चे नामांकित थे और देश की साक्षरता सिर्फ छह प्रतिशत थी। गोखले ने इंपीरियल असेंबली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की वकालत करते हुए कहा था कि ऐसा करके अगले दो दशकों में सबको शिक्षा का लक्ष्य हासिल करना संभव होगा। लेकिन उपनिवेशवादी शासकों ने उनके प्रस्ताव को अव्यावहारिक और अनावश्यक मान कर खारिज कर दिया। फिर 40 साल के बाद 1950 में जब भारत गणराज्य का संविधान बनाया गया तब उसमें देश के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। तब देश में साक्षरता लगभग 18 प्रतिशत थी और करीब 40 प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में नामांकन था। सबको शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने की संविधान में दस साल की सीमा निर्धारित की गई। मगर उस समय सीमा में वह लक्ष्य नहीं पाया जा सका। इसके 60 साल बाद 2010 में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और शिक्षा के बुनियादी अधिकार का कानून बना जिसमें सबको प्राथमिक शिक्षा दे देने के लिए पांच साल की समय सीमा रखी गई। वह समय सीमा भी वर्षों पहले बीत चुकी है। हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम लर्निंग क्राइसिस में फंसे दिख रहे हैं।

कहते हैं अपर्याप्त वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन में अक्षमता इसका कारण है, लेकिन वास्तव में इसके मूल में संरचनात्मक सुधारों की हमारी अनिच्छा है। यह अनिच्छा 75 सालों से बनी हुई है। हम जीवन में व्यक्तिगत प्रगति के लिए शिक्षा का सीढ़ी के रूप में उपयोग करते हैं।

यह सीढ़ी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों का बोझ वहन कर सके। हमारी स्कूल प्रणाली वास्तव में बढ़ते बोझ को उठाने में असमर्थ है। स्कूल में न्यूनतम भौतिक बुनियादी ढांचे और शैक्षिणक संसाधनों के संदर्भ में क्या होना चाहिए यह अपरिभाषित ही रहा। 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' में इसकी कोशिश की गई लेकिन वह आगे नहीं चला। आखिर में यह काम शिक्षा के अधिकार कानून ने किया। इसमें प्रत्येक स्कूल की आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया। किन्तु दुर्भाग्य से भारत में आज 15 लाख स्कूलों का केवल छोटा सा प्रतिशत ही उस कानून में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं पा रहा है। समस्या का समाधान न तो अज्ञात है और न ही अव्यावहारिक है। हमारे पास देश के प्रत्येक स्कूल का डेटा है। हम स्कूल को सुधारना भी चाहते हैं। मगर गरीबों के प्रति शासन और समाज की उदासीनता के कारण यह नहीं हो पा रहा है। सामान्य सरकारी स्कूलें उपेक्षा की शिकार रहती हैं। स्कूल में होने वाली लगभग हर गतिविधि शिक्षा अधिनियम या शिक्षा संहिताओं तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गए नियमों और विनियमों से चलती है, मगर नियमों की पालना के लिए बारीकी से निगरानी नहीं की जाती। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों का न तो मार्गदर्शन होता है और न परिवीक्षण होता हैं। वे बिना पतवार के जहाज की भांति चलते हैं। ऐसे में अगर कुछ बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या कक्षाओं में आगे बढ़ कर भी मुश्किल से पढ़ना और गणना सीख पाते हैं तो क्या आश्चर्य है। शासन की उदासीनता के कारण कुछ शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं जाने के अभ्यस्त हो जाते हैं।

> **स्कूल को स्थानीय संस्कृति व परंपराओं, व्यावसायिक संबद्धताओं आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला सूक्ष्म जगत बताया जाता है। स्कूल प्रणाली जाति, वर्ग, धर्म, भाषा क्षेत्र और लिंग के विभाजन के विविध सामाजिक परिवेश में कार्य करती है, मगर उस प्रणाली से अपेक्षा की जाती है कि वह सीखने के लिए वैसा वातावरण बनाये जो ऐसे विभाजनों के हानिकारक प्रभावों से विद्यार्थियों को बचाये।**

कुछ उद्यमी शिक्षकों द्वारा अपनी जगह अन्यों को पढ़ाने भेज देने की खबरें भी आती हैं। स्वामित्व और जवाबदेही का मजबूत तंत्र एकदम गायब है। सभी सर्वे रिपोर्टें यही बताती है कि बच्चों ने स्कूलों में आठ साल पूरे कर लिये परंतु वे दूसरी के स्तर का भी पढ़-लिख नहीं पाते। यह सुनिश्चित ही नहीं किया जाता कि स्कूलों में शिक्षण नियमित रूप से हो, बच्चे प्रतिदिन सीखने के लिए पर्याप्त समय के लिए आयें, और शिक्षक शिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए स्कूल में पर्याप्त समय दें। स्कूलों में शिक्षण मजबूत करने के लिए पेशेवर शिक्षकों समुदाय ही नहीं है। दुर्भाग्य से पिछले बीस साल में अपनाई गई नीतियों ने शिक्षक समुदाय को विखंडित कर दिया है। उन नीतियों ने शिक्षक की व्यावसायिक पहचान को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है। शिक्षकों के शिक्षण का काम पूरी तरह निजी व्यावसायिक संस्थानों के हाथों में छोड़ दिया गया है।

स्कूल को स्थानीय संस्कृति व परंपराओं, व्यावसायिक संबद्धताओं आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला सूक्ष्म जगत बताया जाता है। स्कूल प्रणाली जाति, वर्ग, धर्म, भाषा क्षेत्र और लिंग के विभाजन के विविध सामाजिक परिवेश में कार्य करती है, मगर उस प्रणाली से अपेक्षा की जाती है कि वह सीखने के लिए वैसा वातावरण बनाये जो ऐसे विभाजनों के हानिकारक प्रभावों से विद्यार्थियों को बचाये। लेकिन सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को विभिन्न श्रेणियों में फिट कर देने की समस्या स्कूलों में संस्थागत हो गई है। मैकाले का मुख्य सिद्धांत स्कूलों और जन-समूहों के बीच विभाजन करना था। भारतीय अभिजात्य वर्ग और बुद्धिजीवियों ने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के प्रस्ताव का कडा विरोध किया था, लेकिन विडंबना यह है कि मैकाले प्रणाली की अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अभिजात्य वर्ग और बुद्धिजीवियों के बच्चों का ही नामांकन तेजी से बढ़ा है। स्थानीय भाषाओं के प्राथमिक स्कूल जिन्हें गरीबों की शिक्षा पूरी करनी थी वे उपेक्षित रहे हैं। शिक्षाविद् उचित ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम अब मैकालेवाद को अधिक प्रतिबद्धता के साथ पुनर्जीवित नहीं कर रहे हैं?

बहुधा इसका दोष महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम निर्माताओं पर डाल दिया जाता हैं, तो कभी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की गैर-जिम्मेदारी को कारण बता दिया जाता है और कभी प्रशासन की उदासीनता को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन, जैसा कि यशपाल कमेटी ने कहा था कि हम सिर्फ बाहरी अभिव्यक्तियां देख रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था की अंतर्निहित अस्वस्थता के बारे में नहीं सोचते। हमारी सामाजिक कुरीतियां स्कूली व्यवस्था में घर कर गई है। समाजशास्त्रीय भाषा में कहें तो यह कुलीन विद्यालय बनाम छोटे विद्यालय की विकृति हैं। कुलीन स्कूल वे हैं जिनमे बच्चे तीन साल या छह साल की उम्र में प्रवेश लेते हैं और 18 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते हुए शैक्षिक सीढ़ी पर आसानी से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा लगभग एक मानक हो गई है।

उनके अधिकांश स्कूल केन्द्रीय विद्यालयों के बराबर हैं। पूरे देश में ऐसे 25,000 स्कूल हैं। राज्य बोर्डों के भी कुछ स्कूल इनमें जोड़ दें तो भी उनकी कुल संख्या एक लाख से ज्यादा नहीं होगी। दूसरी ओर 14 लाख छोटे स्कूल ऐसे हैं जिनमें अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। छोटे स्कूल संसाधनों की दृष्टि से कुलीन स्कूलों से बिल्कुल विपरीत हैं। यह विभाजन केवल इमारतों या संसाधनों का नहीं है। यह विभाजन स्कूल निर्माण से लेकर पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन तक शिक्षा के हर पहलू में व्याप्त है। मीडिया का और प्रशासन का ध्यान हमेशा बड़े स्कूलों पर ही होता है। सार्वजनिक शिक्षा की समस्या कुलीनों की नहीं है। सार्वजनिक शिक्षा के लिए संघर्ष छोटे स्कूलों को ही करना होता है। इस समाजशास्त्रीय दरार पर प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। इससे देश के आम अभिभावकों के साथ न केवल नैतिक रूप से दुर्भाव होता है बल्कि झूठे तर्कं से उन पर बौद्धिक कुठाराघात भी होता है। हमें स्कूली शिक्षा के उद्देश्य की एक साझा दृष्टि तैयार करनी होगी जहां बच्चों को एक सामंजस्यपूर्ण तथा अन्योनाश्रित सदस्य के रूप में खुद की कल्पना करने के लिए तैयार किया जा सके। असफलताओं के बावजूद यह आशावाद बनाए रखना है कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। आशावाद का स्त्रोत हमें सामान्य लोगों के बदलते परिपेक्ष्य में दिखता है। आज सबसे गरीब व्यक्ति भी व्यक्तिगत प्रगति के लिए स्कूली शिक्षा को एक आवश्यक शर्त मानता है। सीमित आर्थिक संसाधनों और कोई सामाजिक पूंजी न होने के बावजूद भारत के लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए स्कूली शिक्षा को अपनाया है। उनका यही भरोसा हमारी आशा को बल देता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

यू.जी.सी. से प्रताड़ित खुले विश्वविद्यालय

प्रो.कैलाश सोडाणी

दुनियां में दूरस्थ शिक्षा का प्रादुर्भाव प्रतिभावान एवं गरीब एकलव्य की शिक्षण व्यवस्था से होता है। आज भी इस व्यवस्था से अधिकाधिक होनहार गरीब विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में निर्धारित 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पहुँचाने के लक्ष्य को दूरस्थ शिक्षा अर्थात खुला विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकेगा। खुला विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा की सर्वजन सुलभता सम्भव है। आज दूरस्थ शिक्षा दूरदराज गाँव में बैठे व्यक्ति, गृहणियों, रोजगार में व्यस्त लोगों तक ही सीमित नहीं रही है। अपितु आम विद्यार्थी एवं नागरिक भी उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा हमारे देश की अर्थव्यवस्था के भी अनुकूल है। हमारे बजट का मात्र लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च हो रहा है, 6 प्रति तक करने का लक्ष्य है। अर्थात देश की शैक्षणिक संस्थाएँ आर्थिक संकट में काम कर रही है। यहाँ यह चर्चा भी आवश्यक है कि देश के बजट का 94 प्रति हिस्सा उन केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं पर खर्च हो रहा है जहाँ मात्र 6 प्रति विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। शेष शिक्षण संस्थाओं पर जिनमें 94 प्रति विद्यार्थी हैं, वहाँ मात्र 6 प्रतिशत खर्च हो रहा है। बजट की कमी से राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रयोगशालाएँ तथा पुस्तकालय खाली पडे हैं। ऐसे परम्परागत एवं रेगूलर कालेजों में प्रवेशित विद्यार्थियों को शिक्षकों के अभाव में ज्ञान के नाम पर क्या मिल रहा है ? कुछ नहीं, केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षकों के अभाव में संचालित विश्वविद्यालय एवं कॉलेज मूलत: रेगुलर टीचिंग के नाम पर विद्यार्थियों को खुले आम धोखा दे रहे हैं। इस स्थिति के बावजूद भी देश में उच्च शिक्षा का सुप्रिमों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली शान्त भाव से, आँखें बन्द कर के, चिरनिद्रा में बैठा है।

रेगुलर कालेज और विश्वविद्यालय को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता रहती है। प्राय: राज्य सरकारें तो आर्थिक दृष्टि से बडी तंग हालात में ही रहती है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार के लिए राज्य सरकारों के पास खुला विश्वविद्यालय ही श्रेष्ठ विकल्प है। विज्ञान के आशीर्वाद से संचार जगत में क्रान्तिकारी परिवर्तनों से दुनियाँ डिजिटल वर्ल्ड में बदल गयी है। केवल संवाद ही नहीं व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर फेसबुक आदि से जैसे ज्ञान की बाढ आ गयी है। नई पीढी गुरु से ज्यादा गूगल पर आश्रित हो गई है। विद्यार्थी ज्ञान के अमृत्व को क्लास रूम में नहीं वरन् व्हाट्सएप और ट्विटर पर तलाश रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ऑफिस, ऑनलाइन फूड एवं टैक्सी के युग में ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की ओर हमें तेजी से बढ़ना होगा।

गांव एवं खलिहान में काम करने वाले गरीब तथा महिलाओं को उच्च शिक्षा से जोडने में खुले विश्वविद्यालयों की भूमिका सराहनीय रही है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में 11 प्रतिशत का योगदान खुला विश्वविद्यालयों का है। जबकि देश में लगभग 110॰प्रतिशत विश्वविद्यालयों में राजकीय खुले विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 18 है।

इस दृष्टि से हमें खुला विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति को सरल एवं सुगम बनाना चाहिये। जबकि धरातल पर उल्टा हो रहा है। आज की स्थिति में अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि खुला विश्वविद्यालय की तुलना में नियमित विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति बहुत ही सरल एवं सुगम है। देश में नियमित विश्वविद्यालय पूर्ण स्वायत्तता के साथ शानदार गति से संचालित हो रहे हैं। दो विभिन्न नियमित विश्वविद्यालयों में कुलपति पद पर कार्य करते हुए मुझे किसी भी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने अथवा छात्रों के प्रवेश को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दरवाजे खटखटाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। इस दृष्टि से नियमित विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता थी और आज भी है। नई शिक्षा नीति में तो स्वायत्तता तक को स्वायत्तता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। दूसरी ओर खुले विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता तो दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के पास गिरवी रखी है। मेरा तो यह भी मानना है कि दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के अमर्यादित नियंत्रण की कार्य पद्धति को देखते हुए देश के स्टेट खुला विश्वविद्यालयों में कुलपति पद ही समाप्त कर देना चाहिए।

मुझे खुला विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए मात्र 10 माह ही हुए हैं। अनुभव कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (डेब) 2017 या 2020 विनियमन के कारण पढ ाई लिखाई बन्द हो गयी। मैं और मेरे अध्यापक साथी कभी दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डेब) का तो, कभी नैक का आवेदन फॉर्म भरने में ही रात-दिन लगे हुए हैं। पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु प्रत्येक पाँच वर्ष में हजारों दस्तावेजों के साथ फार्म भरिये, अनुमति लीजिए अन्यथा प्रवेश पर रोक के लिए तैयार रहिये। 30 जून 2023 तक नैक की कोई सी भी ग्रेड प्राप्त कर लीजिये अन्यथा प्रवेश बन्द। यह क्या मजाक हो रही है? देश में इस सत्र में पाँच राजकीय खुला विश्वविद्यालयों में नैक ग्रेड के अभाव में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो प्रवेश पर ताले लगा चुकी है। लोकसभा में 12 फरवरी, 2023 को शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने जो जानकारी प्रदान की, उसके अनुसार देश में अभी तक 62 प्रतिशत विश्वविद्यालयों और 78 प्रतिशत कॉलेजों ने नैक से मान्यता प्राप्त नहीं की है। तो फिर देश के इन 18 खुला विश्वविद्यालयों पर ही 30 जून 2023 तक नैक की मान्यता का डंडा क्यों लगा रखा है? बार-बार, हर बात में प्रवेश बन्द करने की धमकी देना कहाँ तक न्यायसंगत है। प्रश्न यह उठता है कि नियमित विश्वविद्यालयों के लिए 30 जून,23 तक नैक ग्रेड प्राप्त करने की बाध्यता क्यों नहीं है ? दूसरा पक्ष ओर देखिये कि स्वयं नैक की कार्यपद्धति समयबद्ध नहीं है। चार माह का काम 12 माह में हो रहा है। फिर भी यू॰जी॰सी॰शांत है।

देश में कार्यरत सभी राजकीय विश्वविद्यालय वहाँ की विधान सभा से पारित एक अधिनियम के तहत बनता है और चलता है। अधिनियम में विश्वविद्यालय संचालन के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज, कमेटी ऑफ कोर्सेज, विद्या परिषद, प्रबंध मंडल का गठन किया जाता है। इन सभी के ऊपर कुलाधिपति हैं। इन विभिन्न निकायों में लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसार कुलपति विश्वविद्यालय चलाने के लिए बाध्य हैं। सम्बन्धित राज्य सरकार अधिनियम बनने के बाद भूमि भवन-शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक कार्मिक आदि की व्यवस्था करती है। राज्य सरकार ही प्रति माह वेतन की व्यवस्था करती है। कुलपति के सामने दुविधा यह हो रही है कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के अनुसार चलावें या दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के अनुसार। मेरे विश्वविद्यालय के अधिनियम में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

आपकी जानकारी के लिए राजस्थान सरकार राज्य में केवल मात्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की फीस का 100 प्रतिशत पुनर्भरण कर रही है। सत्र 2022-23 में हमारी राज्य सरकार ने हमारे खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाली 37,560 छात्राओं की फीस का पुनर्भरण किया है। यह सुविधा राज्य के अन्य किसी नियमित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर नहीं है। अर्थात हमारी राज्य सरकार खुला विश्वविद्यालय प्रणाली को किस उच्च स्तर तक प्रमोट कर रही है। दूसरी ओर दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कर रहा है ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन लाखों विद्यार्थियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा जो अपनी उच्च शिक्षा केवल खुला विश्वविद्यालय से ही पूर्ण कर सकते हैं और करना चाहते हैं। विद्यार्थियों को बिना उनकी किसी गलती के उच्च शिक्षा से वंचित रहने की सजा क्यों दी जा रही है?

प्रत्येक खुला विश्वविद्यालय अपनी अध्ययन सामग्री देश के विभिन्न विद्वान शिक्षकों से तैयार करवाता है, जिसे अनुमोदन के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पास भेजना पडता है। शिक्षकों की इससे बडी मजाक क्या हो सकती है दूसरी ओर नियमित विश्वविद्यालयों में उपलब्ध साहित्य से ही गाडी चल रही है और अच्छी चल रही है। नियमित विश्वविद्यालयों में एक बहुत बडा वर्ग स्वयंपाठी विद्यार्थियों का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके बारे में कभी चिंता व्यक्त नहीं की। परीक्षा प्रारम्भ होने से मात्र 24 घण्टे पहले तक फॉर्म भरकर परीक्षा दीजिए एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदित डिग्री लेकर पधारिये। राजस्थान में ऐसे स्वयंपाठी विद्यार्थियों की संख्या गत वर्ष लगभग 7 लाख थी।

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने खुला विश्वविद्यालयों के लिए अच्छी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता की बाध्यता कर रखी है। शिक्षकों के पद राज्य सरकार से प्राप्त करना होता है और राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान करती है। दूसरी ओर 7 लाख स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए एक भी शिक्षक नहीं है फिर भी शान से आगे बढ़ रहे है। राजस्थान में आज भी लगभग 6 नियमित विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास एक भी शिक्षक नहीं है परन्तु छात्रों की संख्या लाखों में है। निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली से तो पूरा देश वाकिफ है परन्तु यू.जी.सी.बेखबर है। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से अपेक्षा तो यह थी कि ब्यूरो गरीब विद्यार्थी के हित में राज्य खुला विश्वविद्यालयों को सकारात्मक सहयोग के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। परन्तु व्यवहार में यू॰जी॰सी॰ने खुला विश्वविद्यालयों मार्ग में इतने बेरियर लगा दिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि इनके हिडन एजेंडे में कहीं निजी विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने का मंतव्य तो नहीं है ? हो सकता है मैं गलत दिशा में सोच रहा हूँ परन्तु स्थिति चिन्ताजनक तो है।

–प्रो.कैलाश सोडाणी,
कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा रोजगार परक और स्वावलंबन सिद्ध होनी चाहिए : राज्यपाल कलराज मिश्र

- **गोविंद गुरु जन जातीय वि.वि. के नवनिर्मित प्रवेश द्वार, संविधान उद्यान और संविधान स्तम्भ का लोकार्पण**

शहीदी मानगढ़ धाम के प्रणेता गोविन्द गिरि की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल कलराज मिश्र, सांसद कनकमल कटारा, राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया।

बांसवाड़ा, (निसं)। आजादी के बाद से अब तक हम आदिवासी एवं सामान्य वर्ग के बीच की खाई को पाट नहीं पाए हैं, ऐसे में हमें शिक्षा का ऐसा सेतु तैयार करना होगा जो इस खाई को पाट सके। ये विचार राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रवेश द्वार, संविधान उद्यान और संविधान स्तम्भ का लोकार्पण, अकादमिक भवन के शिलान्यास एवं गोविन्द गुरु की प्रतिमा के अनावरण के त्रिआयामी समारोह में व्यक्त किए। मिश्र ने कहा कि शिक्षा रोजगार परक और स्वावलंबन सिद्ध होनी चाहिए ताकि ज्ञान की सभी विद्याओं से आदिवसी शसक्तिकरण हो सके।

राज्यपाल ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र का आधार शिक्षा है अत: स्किल डवलपमेंट के कार्यक्रम संचालित करें ताकि विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करने के बाद विश्वकर्मा के रूप में काम कर सकें। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में इस पर बल दिया गया है ताकि शिक्षा अर्जन के बाद विद्यार्थी नौकरी के लिए हाथ नहीं पसारे वरन रोजगार सर्जक बन सके। विद्यार्थी आत्मनिर्भर हो और उसका मौलिक चिंतन हो।

उन्होंने कहा कि गोविंद गुरु व्यक्ति नहीं संस्था थे वे युग प्रवर्तक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने समय में सामाजिक जागरूकता की क्रांति का शंखनाद करते हुए जन-जन का मार्ग प्रशस्त किया। गोविन्द गुरु ने 1911 में भगत पंथ की स्थापना के साथ धार्मिक जागृति और स्वाधीनता संग्राम में अहम योगदान दिया। आतताईयों के विरूद्ध संघर्ष करते हुए उन्होंने न केवल समाज को संगठित किया वरन् आत्मविश्वास जागृत करते हुए सामाजिक और राजनेतिक चेतना जागृत की। संप सभा की स्थापना कर जीवन शैली बदली। विवि परिसर में स्थापित हुई उनकी प्रतिमा युवा पीढी का पथ प्रदर्शित करेगी। राज्यपाल ने संविधान उद्यान के निर्माण पर बधाई देते हुए कहा कि इससे देश की युवा पीढी संविधान संस्कृति से जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि संविधान उद्यान नई पीढी को संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ कर्तव्यों की याद दिलाता रहेगा। उन्होंने बताया कि देश संविधान से ही चल रहा है और हमारे संविधान में ज्ञान दर्शन की महान परम्पराएं है जो वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना प्रवाहित करती है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में ही हम भारत के लोग कहा गया है यह वाक्य नहीं वरन् आत्मानुभूति और समर्पण के भावों का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने काली बाई, नाना भाई, संत मावजी एवं उनकी भविष्य वाणियों का भी उल्लेख किया।

टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि वागड धरा आध्यात्मिक धरा है। उन्होंने बताया कि काशी में जितने मंदिर है उतने ही इस पवित्र धरा पर भी है। उन्होंने बताया कि यहां कंइ विद्वानों को वेदों की जानकारी है अतरू नई पीढ ी को ज्ञान संस्कृति से जोड़ने के लिये वेद विद्यापीठ एवं गुरुकुल महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने बताया कि गुरुकुल में कंइ जनजाति परिवारों के बच्चों ने प्रवेश लिया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मानव विज्ञान आदि नये विषय प्रारंभ करने की भी जरुरत बताई। उन्होंने कहा कि संस्कृति पर भी शोध होना चाहिए। सांसद कनकमल कटारा ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है प्रशासनिक सेवाओं में अधिकतर लोग पूर्वोत्तर के ही है ऐसे में 12 प्रतिशत आरक्षण में से 6 फीसदी पृथक आरक्षण इस क्षेत्र के युवाओं को दिया जाना चाहिए ताकि वे प्रशासनिक अधिकारी बन सके और इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। कटारा ने इस अवसर पर खेल मैदान के लिये 10 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि गोविन्द गिरि ने समाज सुधार, भक्ति भाव से परिवार और गांव सुधारे थे।

उन्होंने धूणियां स्थापित कर नशामुक्ति और स्वस्थ जीवन की राह दिखाई थी। उन्होंने बताया कि संत मावजी महाराज ने जो भविष्यवाणियां की वे अक्षरशरू सत्य साबित होती जा रही है। प्रारंभ में कुलपति प्रो. केशव सिंह ठाकुर ने स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से लगभग सवा लाख विद्यार्थी जुडे हैं यहां शोध का कार्य भी हो रहा है। इसी तरह से वेद विद्यापीठ व वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, पुलिस महानिरीक्षक एस. परिमला, जिला कलक्टर प्रकाशचंद्र शर्मा, एसपी अभिजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

राशिफल बुधवार 27 सितम्बर, 2023

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2080, धनिष्ठा नक्षत्र प्रात: 7:10 तक, धृति योग प्रात: 7:53 तक, कौलव करण दिन 3:23 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज रवियोग प्रात: 7:10 से सांय 6:55 तक है। आज प्रदोष व्रत है। गौत्रि रात्रि व्रत आरम्भ होंगे। आज पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:14 तक, शुभ 10:49 से 12:18 तक, चर 3:16 से 4:46 तक, लाभ 4:46 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:21, सूर्यास्त 6:15

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

तुला
व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक
घर-परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु
मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा।

मीन
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।